कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक 880/14–10 (FP/UP/Road/40150/2019) सहारनपुर दिनांक 30.9.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– **जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–334ए) पुरकाजी–लक्सर मार्ग कि0मी0 0.00 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे0 वन भूमि (0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.60 हे0 आरक्षित वन भूमि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं वन भूमि पर अवस्थित, विभिन्न प्रजातियों के 269 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।** Online Proposal No - FP/UP/ Road/ 40150/2019

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/24/2021/एफ0सी0/52 दिनांक 29.04.2022 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 1071/14–1 दिनांक 28.09.2022

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.09.2022 द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2022 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नवत प्रेषित किया गया हैः–

S.No.	Observation raised by MoEFF&CC	Reply
1	2	3
1	As per DSS analysis, area proposed for diversion is 0.10 ha which is lower than the actual proposed area. As per Geo-referenced map, a forest patch is missing from kml file of area proposed for diversion. This needs rectification. Rectified kml file of complete route needs to be submitted. Accordingly if area proposed for diversion is changed then all related documents need to be modified and resubmitted.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक 29.4.2022 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग आरक्षित वन भूमि से भी होकर जा रहा है, प्रस्तावित मार्ग के संशोधित के0एम0एल0 फाइल एवं अन्य अभिलेख संलग्न करते हुये संशोधित प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसके अन्तर्गत कुल 0.93 हे0 वन भूमि (0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.60 हे0 आरक्षित वन भूमि) एवं वन भूमि पर अवस्थित, परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 269 वृक्षों के पातन की अनुमति प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/24/2021/एफ0सी0/52 दिनांक 29.4.2022 के कम में जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–334ए) पुरकाजी–लक्सर मार्ग कि0मी0 0.00 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे0 वन भूमि (0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि +0.60 हे0 आरक्षित वन भूमि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं वन भूमि पर अवस्थित परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 269 वृक्षों के पातन की अनुमति का संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में (03 पेनड्राइव सहित) अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 880/14–10 (**FP/UP/40150/2019**)दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
2– अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद।

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।